

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

(54)

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा (वि० सं०-110/2010) के आधार पर बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण सेवा के अन्तर्गत प्रखंड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) एतदर्थ गठित समिति द्वारा पुराना सचिवालय के बैरक सं०-27 में स्थित अनु०जाति/जनजाति कल्याण विभाग के सभाकक्ष में दिनांक-06.11.2013 एवं 07.11.2013 को किया गया था। अनुशंसित अभ्यर्थियों जो उक्त तिथियों को सम्मिलित नहीं हो पाये, उनके लिये अंतिम अवसर देते हुए निम्न कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) किया जायेगा:-

जॉच की तिथि एवं समय	रौल नम्बर (Roll No.)			
1	2			
दिनांक-27/12/2013 11.00 पूर्वाह्न से	14430339	14030158	10430373	11130198
	11830464	10130107	13430007	13130330
	11630089	10130913	10630373	
	11930218	10930038	11330055	
	10830292	11630218	10830308	

प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाए:-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडियट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनु०जाति/अनु०जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)।
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।

9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियों) अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साइज का 4 (चार) फोटो।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
12. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।


X/2/1/13

निदेशक

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

सत्यापन प्रपत्र

पारापोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति



चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) कुलनाम
नाम
2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क तथा शहर
3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।
4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ रहे/रह रहे हैं. उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7 राष्ट्रीयता

- (क) जन्मतिथि (क)
 (ख) वर्तमान आयु (ख)
 (ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)
 (ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)
 (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)

- (क) आपका धर्म
 (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति /
 अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों,
 उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/ किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/ स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।
 (ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ/ नहीं
 (ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ/ नहीं

In the Court of Sub- Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sr. S/O.D/O

agedby caste

by faith by

Nationality Indian by occupationresident of

Village..... Town.....

P.O.....P.S.....District

do here by solemnly affirm and declare as follows:-

That I am a permanent resident of the aforesaid Village/Town which falls under P.O. P.S.....District.....

(i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.

(ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honourable Court.

(iii) That all the documents i.e. caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Staff Selection Commission are true to the best of my belief and Knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates, I will be liable to be punished under Law.

The statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and I sign this.....day

.....at.....

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate.....

Signature of Magistrate.....